



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(18)पंरावि/प्रशा.1/पैतृक कार्यमुक्त/वि.अ./2010/841 जयपुर, दिनांक:- 12.4.2017

**—:आदेश:—**

निम्न विकास अधिकारियों की पूर्णतः तदर्थ आधार पर विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें इनके स्वयं के अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (आयुर्वेद विभाग) को लौटायी जाती है:-

क्र.सं.	नाम विकास अधिकारी सर्व श्री	पदस्थापित पंचायत समिति का नाम
1.	पवन कुमार भातरा	सहाडा (भीलवाडा)
2.	पुरुषोत्तम लाल गौतम	सज्जनगढ (बांसवाडा)

उक्त विकास अधिकारी विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.14 के क्रम में अपना कार्यभार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों में से वरियता के क्रम में संभलाकर अपनी उपस्थिति तत्काल अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पासशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त अजमेर/उदयपुर।
10. जिला कलक्टर भीलवाडा/बासंवाडा।
11. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा/बासंवाडा।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा/सज्जनगढ।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
15. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)